UPJB010030912025

न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–1 अमरोहा

उपस्थितः श्री शाकिर हसन, (एच.जे.एस.)

क्रिमिनल अपील संख्या–52 सन 2025

1–विपिन कुमार पुत्र विजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम अक्खा नगला तहसील व थाना नौगांवा सादात जनपद अमरोहा।

..................**अपीलार्थी / विपक्षी**

बनाम

1– उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जिला मजिस्ट्रेट जनपद अमरोहा बजरिये डी0जी0सी0(क्रिमिनल), जनपद अमरोहा।

2– श्रीमती बबीता पत्नी विपिन कुमार पुत्री श्री बृजपाल सिंह हाल निवासनी ग्राम आरकपुर खालसा थाना मंडी धनौरा जनपद अमरोहा।

................**रेस्पोन्डेन्टस / याची**

<u>निर्णय</u>

1– प्रस्तुत फौजदारी अपील धारा 33 ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के अन्तर्गत विद्वान अवर न्यायालय न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय धनौरा द्वारा फौजदारी विविध वाद सं0 128 सन 2023 श्रीमति बबीता बनाम विपिन के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र धारा 125 दं0प्र0सं0 पर पारित आदेश दिनांकित 23.12.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है जिसके अन्तर्गत याची बबीता द्वारा प्रस्तुत भरणपोषण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 125 दं0प्र0सं0 आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए विपक्षी विपिन कुमार को आदेश दिया गया कि वह याची को भरणपोषण याचिका संस्थित करने की तिथि दिनांक 29.09.2023 से रूपये 9,000/–(नौ हजार रूपये) मासिक धनराशि भरणपोषण हेतु (जीवन पर्यन्त अथवा दूसरी शादी होने तक) संदाय करेगा।

2– इस निर्णय के अन्तर्गत अपीलार्थी को विपक्षी तथा रेंस्पोन्डेन्टस सं0 2 को याची के नाम से निर्दिष्ट किया गया है।

3– सक्षेंप में मुकदमें के तथ्य जिससे अपील प्रोद्भूत हुई,इस प्रकार है कि रेस्पोन्डेन्ट/याची द्वारा अपीलार्थी/विपक्षी विपिन कुमार के विरूद्ध धारा 125 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत भरणपोषण हेतु फौजदारी

Digitally signed by SHAKIR HASAN
Date: 2026.06.23 18:03:33 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

विविध वाद योजित किया गया जिसके अन्तर्गत यह कथन किया गया है कि प्रार्थनी/याची का विवाह हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार दिनांक 11.03.2012 को विपक्षी के साथ सम्पन्न हुआ था। विवाह के समय प्रार्थनी के माता पिता ने अपनी हैसियत के अनुसार काफी सामान उपहार स्वरूप विपक्षी व विपक्षी के परिजनों के दिये थे। उप्तरोक्त उपहार स्वरुप सामान आज भी विपक्षी व विपक्षी के परिजनों के पास है। विवाह में प्रार्थनी के माता पिता ने डबल बैड शौफा सेट, अलमारी, एल०ई०डी० टी०वी० जनाने व मर्दाने कपडे सोने चांदी के आभूषण और मोटर साइकिल व कार आदि सामान दिया था और इस प्रकार प्रार्थनी के माता पिता ने विवाह में मुबलिग चौदह लाख रुपये खर्च किये थे। प्रार्थनी ने विपक्षी व विपक्षी के परिजनों के प्रति अपने कर्तव्यो व दायित्वों का निर्वाहन भली प्रकार किया। विवाह के कुछ दिन बाद से ही प्रार्थनी के पति अर्थात विपक्षी विपिन कुमार व विपक्षी के परिजन ने प्रार्थनी को कम दहेज का ताना देने लगे और कहते कि तेरे माता पिता ने हमारी हैसियत के अनुसार दहेज नहीं दिया। हमें दहेज में एक स्कार्पियों कार व पन्द्रह लाख रुपये नकद अपने माता पिता से लाकर दे इस प्रकार उपरोक्त दहेज की मांग को लेकर प्रार्थनी को विपक्षी व विपक्षी के परिजन अर्थात माता पिता मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताडित करने लगे। प्रार्थनी यह सोच कर कि उसका विवाह बर्बाद ना हो विपक्षी व विपक्षी के परिजन अर्थात माता पिता की मानसिक व शारीरिक प्रताडना सहती रही। विपक्षी तथा प्रार्थनी के संसर्ग से एक पुत्री कु० प्रानवी व एक पुत्र भेदिन उत्पन्न हुये जिनकी आयु क्रमशः 11 वर्ष व 5 वर्ष है। तत्पश्चात भी विपक्षी के परिजन अर्थात माता पिता की मानसिक व शारीरिक प्रताडना करने लगे तथा प्रार्थनी ने विपक्षी व विपक्षी के परिजनों को समझाने का प्रयास किया कि प्रार्थनी के माता पिता गरीब है तथा विपक्षी परिजनों की दहेज की मांग उपरोक्त को पूरा नहीं कर सकते। दहेज की मांग पूरी ना होने के कारण 26.07.2023 को विपक्षी व विपक्षी के परिजन अर्थात माता पिता ने प्रार्थनी को मारपीट करके मात्र पहने कपड़ों में घर से धक्के देकर निकाल दिया। तत्पश्चात प्रार्थी ने अपने मायके पहुंचकर अपने माता पिता से उस घटना के बारे में बताया तब प्रार्थनी के माता पिता भाई राहुल कुमार व रिश्तेदार संजीव कुमार को लेकर की ससुराल पहुंचे तथा प्रार्थनी के पति अर्थात विपक्षी व प्रार्थनी के ससुराल वालो अर्थात विपक्षी के परिजन समझाने का प्रयास किया परन्तु प्रार्थनी के पति अर्थात विपक्षी व विपक्षी व प्रार्थनी के ससुराल वाले नही माने और

अपनी उक्त दहेज की मांग पर अड़े रहे। तत्पश्चात दिनांक 28.07.2023 को प्रार्थनी के पति और प्रार्थनी के ससुराल वाले अर्थात सास ससुर प्रार्थनी के पिता जी के घर पर आये और प्रार्थनी को दान दहेज की मांग को लेकर गन्दी गन्दी गालियों और मारपीट से सम्बन्धित घटना कारित की जिसके क्रमशः प्रार्थनी वाद पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र कर रहा है जिसमें उपरोक्त घटनाओं का विस्तृत विवरण दिया प्रार्थनी दिनांक 26.07.2023 से अपने माता पिता के घर पर रह रही है तथा प्रार्थनी के माता पिता तथा प्रार्थनी अपने माता पिता पर बोझ बनी हुई है। विपक्षी ने न तो अपने दाम्पत्य जीवन का निर्वहन ही किया और ना ही प्रार्थनी को भरण पोषण हेतु कोई धनराशि अदा की है। प्रार्थनी एक घरेलू महिला है तथा सिलाई बुनाई, कढाई आदि का कोई कार्य नहीं जानती है और न ही प्रार्थनी के पास आय का कोई भी साधन है तथा प्रार्थनी के भरण पोषण का समस्त उत्तरदायित्व विपक्षी पर है। विपक्षी ने प्रार्थनी की पूर्ण उपेक्षा की गयी है। विपक्षी के नाम मौजा अक्खा नंगला व करौंदी में लगभग 15 बीघे कृषि भूमि है जिसमे विपक्षी छः लाख रु0 प्रतिवर्ष कमाता है। विपक्षी इसके अतिरिक्त पशु पालन करता है और दूध के कारोबार से लगभग सत्तर हजार रुपये प्रति माह कमाता है तथा विपक्षी ट्रैक्टर खरीदने बेचने का व्यापार भी करता है जिससे विपक्षी लगभग एक लाख रुपये प्रति माह कमाता है। इसके अतिरिक्त विपक्षी व उसके भाई का संयुक्त मकान मौहल्ला गांव मवाना रोड मेरठ में स्थित है जिससे विपक्षी संयुक्त रुप से किराये की धनराशि साठ हजार रुपये प्रति माह करता है। विपक्षी दूध के कारोबार से प्रतिमाह सत्तर हजार रुपये व ट्रेक्टर के व्यापार से एक लाख रूपये प्रतिमाह व कृषि भूमि से छः लाख रुपयें सालाना अर्थात औसत पचास हजार रुपये प्रति माह संयुक्त मकान रूप में, उपरोक्त मकान से किराये के रूप में साठ हजार रुपये प्रति माह अर्थात विपक्षी तीस हजार रुपये प्रथक रुप से कमाता है, इस प्रकार विपक्षी उपरोक्त सभी से कुल दो लाख रुपये प्रति माह से कम नहीं कमाता है। प्रार्थनी को अपने आवश्यकता की पूर्ति व भरण पोषण हेतु चौदह सौ रुपये प्रति दिन की दर से अंकन 42000/– रुपये प्रतिमाह की आवश्यकता है।

विपक्षी विपिन कुमार द्वारा अपना प्रतिवाद पत्र दाखिल कर मुख्यतः यह कथन किये गये हैं कि याची से शादी होना स्वीकार है। याची को उपरोक्त परिवाद प्रस्तुत करने का कोई कारण उत्पन्न नही हुआ परिवाद पूरी तरह गलत झूठे एवं बनावटी तथ्यों के आधार पर उपरोक्त परिवाद प्रस्तुत किया है। विपक्षी विपिन कुमार परिवादिनी

बबीता का वैवाहिक पति है विपक्षी बेरोजगार है और बीमार रहता है। विपक्षी पर बूढे माता आश्रित है इसलिए परिवादिनी भरण पोषण भत्ते की कानूनी अधिकार नही है। विपक्षी की शादी 11.03.2012 को बबीता पुत्री ब्रजपाल सिंह से हिन्दू रीति रिवाज के साधारण तरीके से बिना किसी दान दहेज के हुई थी तय शर्त एवं भारतीय परम्परा के अनुसार बबीता विदा होकर मेरे निवास ग्राम अक्खानंगला आयी थी। विपक्षी ने पत्नी बबीता को बहुत प्यार मौहब्बत और इज्जत से रखा और उसके सभी खर्चे अपनी हैसियत अनुसार वहन किये तथा वैवाहिक कर्तव्य का पूर्ण निर्वहन किया। विपक्षी की पत्नी बबीता शादी के कुछ समय बाद से ही कहने लगी कि मेरी शादी मेरे घर वालों ने मेरी बिना मर्जी के खिलाफ तुमसे करा दी है। इस कारण में तुम्हारे साथ घर नहीं रह पाऊंगी अब तक मैंने बहुत तुम्हारे घर पर तंगी से दिन काटे हैं। विपक्षी की पत्नी बबीता अपने मायके निवासी ग्राम आरकपुर खालसा थाना मण्डी धनौरा जनपद अमरोहा दो तीन माह रुकती है और ससुराल में बहुत कम रहती है। जब विपक्षी अपनी पत्नी बबीता को अपने मायके जाने को मना करता है तो बबीता झगड़ा करने पर उतारू हो जाती है। विपक्षी ने अपनी पत्नी बबीता को अपने घर लाने के लिए बहुत प्रयास किया और विपक्षी कई बार अपनी पत्नी को लेने के लिए ग्राम आरकपुर खालसा गया तो बबीता ने कहा कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है तुम मुझे छोड़ दो। बबीता ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि विपक्षी व उसके भाई का एक मकान मेरठ में स्थित है जबकि विपक्षी के पास कोई भी प्लाट अथवा मकान मेरठ में नहीं है प्रार्थनी को उपरोक्त मकान के सम्बन्ध में स्वामित्व सिद्ध करने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

विपक्षी/अपीलार्थी विपिन कुमार की ओर सूची 43ख से पांच प्रपत्र दाखिल किये गये है।

याची बबीता द्वारा लिखित उत्तर का लिखित प्रतिउत्तर रैप्लीकेशन का0सं0 14क दाखिल करते हुए यह कथन किया गया है कि परिवादनी/ प्रार्थनी कुल पाँच बहन भाई अर्थात श्रीमति मिथलेश देवी कमलेश देवी परिवादनी श्रीमति बबीता, राहुल व मोहित हैं। उपरोक्त परिवादनी के दोनों भाई राहुल व मोहित की शादी हो चुकी है तथा उपरोक्त दोनों भाई माता पिता से पृथक रह रहे हैं परिवादनी के पिता अर्थात ब्रजपाल सिंह व माता श्रीमति माया देवी कमशः 65 वर्ष व 62 वर्ष के हैं तथा परिवादनी के पिता सांस के रोगी व माता गढिया हाई ब्लड प्रेशर, गैस की रोगी है तथा परिवादनी की माता को आँखों

से भी कम दिखायी देता है परिवादनी के माता पिता अपना जीवन यापन बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं। विपक्षी के पिता बिजेन्द्र सिंह को दो सन्ताने अर्थात विपिन कुमार व अंकुल कुमार है तथा विपक्षी का भाई लगभग 10 वर्ष से मेरठ में प्राईवेट जॉब कर रहा है तथा उपरोक्त अंकुल की शादी 2016 में हो चुकी है तथा अंकुल कुमार अपने पत्नी व बच्चों सहित मेरठ में ही निवास करता है। विपक्षी पृथक रुप से खाता सं० 115 गाटा सं० 174 रकबा स 0.2285 है०, खाता सं० 87 गाटा सं० 173 रकबा 0.2166 है० स्थित ग्राम अक्खा नगला तहसील धनौरा व खाता सं0 204 गाटा सं० 331 रकबा 0.3962 है० स्थित ग्राम करौन्दी तहसील व जिला अमरोहा अर्थात 3 किते जिसका कुल रकबा 0.8413 है० का संक्रमणीय भूमिधर मालिक काबिज दखील है तथा उपरोक्त कृषि भूमि से विपक्षी लगभग 6,00,000/– रुपये प्रति वर्ष कमाता है विपक्षी पूर्ण स्वस्थ है तथा विपक्षी को कोई बीमारी नहीं है तथा विपक्षी ने अपने लिखित उत्तर बीमारी का कोई नाम नहीं लिखा है न ही बीमारी से सम्बन्धित कोई प्रपत्र प्रस्तुत किया है परिवादनी, विपक्षी से धारा 125 द०प्रकिया संहिता के अन्तर्गत भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारी है परिवादनी दिनॉक 26.07.2023 से अपने माता पिता के पास रह रही है तथा विपक्षी न तो परिवादनी को लेने आया और ना ही विपक्षी ने परिवादनी को लाने का कोई प्रयास किया है विपक्षी के पिता विजेन्द्र सिंह बड़े किसानों में आते हैं तथा उनके पास ग्राम अक्खा नंगला तहसील धनौरा में खाता सं० 99 गाटा सं० 180 रकबा 0.4755 है०, व गाटा सं० 166 रकबा 0.0345 है0, गाटा सं0 167 रकबा 0.035 है०, 168 रकबा 0.034.580, गाटा सं० 169 रकबा 0.0345 है० व गाटा सं० 170 रकबा 0.0345 है० व गाटा सं० 134 रकबा 0.3840 है० अर्थात 7 किते व खाता सं०– 5 गाटा सं० 165 रकबा 0.5482 है० व खाता सं० 108 गाटा सं० 156 मि० रकबा 0.0171 है० व खाता सं० 107 गाटा सं० 164 मि० रकबा 0.0318 है० अर्थात 10 किते कुल रकबा 1.6291 है0 कृषि भूमि है जिसके विपक्षी के पिता जी संक्रमणीय भूमिधर है। जिसके सम्बन्ध में ने परिवादनी सूची से मूल इन्द्राज खतौनी उपरोक्त वाद में प्रस्तुत कर रही है इसके अतिरिक्त विपक्षी के पिता जी ने एक आवासीय भवन 132 वर्ग मीटर का मौह० गंगा वाटिका एम–सटेशन राजस्व ग्राम अब्दुल्लापुर पर व तहसील व जिला मेरठ में 40,00,000/– रुपये प्रतिफल का श्रीमति स्वाति से क्रय किया है उपरोक्त आवासीय भवन दो मंजिला भवन हैं विपक्षी व विपक्षी के भाई अंकुल ने एक आवासीय प्लाट गंगा सागर कालोनी राजस्व

ग्राम अब्दुल्लापुर पर० व तहसील व जिला मेरठ 18,88,000/— रुपये से संयुक्त रुप से दिनाँक 13.11.2020 को श्रीमति माधुरी से कय किया है। विपक्षी व विपक्षी के परिवार वाले शातिर व्यक्ति है तथा विपक्षी ने कानूनी मशवरा प्राप्त करके दिनोंक 30.06.2023 को अपने भाई के साथ संयुकत रुप से उपरोक्त आवासीय प्लाट प्रतिफल 22,58,000/— रुपये से विक्रय कर दिया परिवादनी ने उपरोक्त वाद सत्य कथनों के आधार पर प्रस्तुत किया है तथा परिवादनी को उपरोक्त परिवाद प्रस्तुत करने का पूर्ण अधिकार है तथा परिवाद परिवादनी का स्वीकार किये जाने योग्य है।

याचिका/ परिवाद, में याची/ परिवादनी ने सूची 16 (ख) व 53 (ख) सूची से निम्न प्रपत्र प्रस्तुत किये। का0सं0 17 (ख) सत्यप्रति विकय विलेख इकरारी श्रीमति स्वाति मौसूमा बिजेन्द्र सिंह दिनॉकित 03.01.2024 18 (ख) सत्यप्रति विक्रय विलेख इकरारी श्रीमति माधुरी देवी मौसूमा अंकुल कुमार दिनांकित 13.11.2020, 19 (ख) सत्यप्रति विक्रय विलेख इकरारी अंकुल कुमार व विपिन कुमार मौसूमा श्रीमति अंजना अग्रवाल दिनांकित 30.6.2023 20 (ख) सत्यप्रति उद्धरण खतौनी खाता सं० 115 गाटा सं० 172 रकबा 0.9140 है0 स्थित ग्राम अक्खा नगला, सत्यप्रति उद्धरण खतौनी खाता सं० 87 गाटा सं० 173 रकबा 1.7330 है० स्थित ग्राम अक्खा नगला, ता 2.8 (ख) 22 (ख) सत्यप्रति उद्धरण खतौनी 7 अदद खाता खतौनी सं० 99 गाटा सं० 180 रकबा 1.9020 है०, गाटा सं० 166 रकबा 0.1380 है०. गाटा सं० 170 रकबा 0.1380 है०, गाटा सं० 170 रकबा च0.1380 है०, गाटा सं० 134 रकबा 2.1200 है0 स्थित ग्राम अक्खा नगला तहसील धनौरा जनपद अमरोहा। 29 (ख) सत्यप्रति उद्धरण खतौनी खाता सं० 00005 गाटा सं० 165 रकबा 2.1930 है० स्थित ग्राम अक्खा नगला तहसील धनौरा जनपद अमरोहा, 30 (ख) सत्यप्रति उद्धरण खतौनी खाता सं० 102 गाटा सं० 156 मि० रकबा 0.4210 है० स्थित ग्राम अक्खा नगला, 31 (ख) सत्यप्रति उद्धरण खतौनी खाता सं० 107 गाटा सं० 164 मि० रकबा 0.765ः है० स्थित ग्राम अक्खा नगला तहसील धनौरा जनपद अमरोहा 32 (ख) सत्यप्रति 331 रकबा 0.8410 है० स्थित ग्राम करौन्दी तहसील नौगावां सादात जिला अमरोहा 53 (ख) सत्यप्रति प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ०आई०आर०) दिनोंकित 05.08.2023, 55 (ख) सत्यप्रति दाखिल किये गये है। उपरोक्त याचिका के विपक्षी विपिन कुमार ने सूची 43 (ख) तीन प्रपत्र प्रस्तुत किये। 44 (ख) मूल रसीद प्रार्थनी/ याची / परिवादनी ने अपना शपथ पत्र 33 (ख) तथा विपक्षी विपिन कुमार ने

अपना शपथ पत्र दिनाँक 12.02.2024 41 (ख) प्रस्तुत किया है।

मौखिक साक्ष्य के रूप में याची ने स्वयं को ए० पी०डब्ल्यू० 1 के रूप में तथा सुरेन्द्र सिंह को ए0 पी०डब्ल्यू० 02 के रुप में परीक्षित कराया गया है तथा विपक्षी विपिन कुमार द्वारा स्वयं को ओ०पी०डब्ल्यू० 1 के रूप में परीक्षित कराया गया है।

विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुनकर दिनांक 23.12.2024 को यह आदेश पारित किया कि याची बबीता द्वारा प्रस्तुत भरणपोषण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 125 दं0प्र0सं0 आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए विपक्षी विपिन कुमार को आदेश दिया गया कि वह याची को भरणपोषण याचिका संस्थित करने की तिथि दिनांक 29.09.2023 से रूपये 9,000/—(नौ हजार रूपये) मासिक धनराशि भरणपोषण हेतु (जीवन पर्यन्त अथवा दूसरी शादी होने तक) संदाय करेगा। विपक्षी विपिन कुमार याची बबीता को प्रत्येक माह की 10 तारीख को उपरोक्त भरणपोषण की धनराशि संदाय करेगें तथा विपक्षी विपिन कुमार याची बबीता को उपरोक्त आदेशानुसार दिनांक 29.09.2023 से इस निर्णय की तिथि तक की बकाया धनराशि का भुगतान इस निर्णय की तिथि से एक माह के भीतर करेगें एवं याची अपना बैंक खाता विवरण अन्दर सात दिवस दाखिल करे ताकि यदि विपक्षी चाहे तो उपरोक्त धनराशि याची के बैंक खाते में जमा कर सके जिससे क्षुब्ध होकर यह फौजदारी अपील योजित की गयी है।

8— मैंने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया ।

9— अपीलार्थी द्वारा अपील के आधार में यह कहा गया है कि अपीलार्थी एवं विपक्षी सं0 2 की शादी दिनांक 11.03.2012 को हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार हंसी खुशी से सम्पन्न हुई थी। अपीलार्थी एवं विपक्षी सं0 2 व दोनों के परिवारों में आपसी मधुर सम्बन्ध रहे तथा दोनों के परिवार वालों का धार्मिक कार्यक्रमो, तीज त्यौहार पर एवं शादी विवाह में हंसी खुशी से आना जाना था किसी भी प्रकार का मनमुटाव नहीं था। अपीलार्थी एवं विपक्षी सं0 2 से एक पुत्री पैदा हुई उसके 6 वर्ष पश्चात पुत्र का जन्म हुआ। अपीलार्थी, विपक्षी सं0 2 एवं अपने बच्चों का जीवन यापन जीविका एवं बच्चों की शिक्षा का खर्च अपनी आय अनुसार लगातार करता आ रहा है। अपीलार्थी विपक्षी सं0 2 के शादी के पश्चात से ही पूर्ण खर्च निर्वाह करता आ रहा है। अपीलार्थी दिनांक 21.03.2020 को बीमार हो गया था तथा काफी समय

तक बीमारी का सामना करना पड़ा जिससे विपक्षी सं0 2 के जीवनयापन खर्चे में टूट हो गयी तथा विपक्षी सं0 2 अपीलार्थी से मनमुटाव करने लगी तथा अपने मायके जाने की धमकी देती थी और कहती थी कि मैं इन दोनों बच्चों को छोड़कर अपने मायके चली जाऊंगी तथा अपीलार्थी ने अपने ससुरालवालों को समझाने का हरचन्द प्रयास किया कि जैसे मेरी तबियत सही हो जायेगी मैं अपना जीवन यापन खर्चा करता रहूँगा, लेकिन अपीलार्थी के कहने के बावजूद भी विपक्षी सं0 2 अपीलार्थी एवं दोनों बच्चों को छोड़कर अपने मायके चली गई। अपीलार्थी ने अपने सभी सम्मानित रिश्तेदारों एंव मिलने वालों के साथ अपनी ससुराल विपक्षी सं0 2 को लेने गया तो विपक्षी सं0 2 और उसके मायके वालों ने साथ भेजने से साफ इंकार कर दिया और कहने लगे कि हम तुझसे न्यायालय के द्वारा खर्चा लेगें लेकिन अपीलार्थी विपक्षी सं0 2 एवं उसके परिवारजानो के आगे विपक्षी सं0 2 को भेजने की गुहार लगाई तथा गिड़गिराया कि मेरा परिवार टूट जाएगा, लेकिन विपक्षनी सं0 2 एवं उसके परिवारजनों ने अपीलार्थी की कोई बात नहीं सुनी और विपक्षनी सं0 2 एवं उसके परिवारजनों ने अपीलार्थी को गाली देते हुए वहॉ से भगा दिया। अपीलार्थी की तबियत में सुधार होता गया तब दोनों बच्चों की शिक्षा एवं अपने माता पिता का खर्च भी अपीलार्थी करता आ रहा है। अपीलार्थी केवल किसानी का कार्य करता है जिसके पास किसानी के अतिरिक्त कोई अन्य आय का साधन नहीं है। दिनांक 23.12.2024 को दिया गया ग्रामीण न्यायालय का आदेश त्रुटिपूर्ण है तथा न्यायिक अधिकारी ने अपने न्यायिक मस्तिष्क का सही उपयोग न करते हुए विपक्षी सं0 2 द्वारा बनाये गये मनगढ़त तथ्यों को सही अवलोकन न करते हुए तथा अपीलार्थी की प्रतिकूल परिस्थितियों को नजरअंदाज कर 9000/–रूपये प्रति मासिक भरण पोषण का आदेश पारित किया जो हरगिज भी पोषणीय व कायम रहने योग्य नही है। ग्रामीण न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश पारित करते समय विपक्षी सं0 2 के ही बताये या लिखाये गये तथ्यों का ही अवलोकन किया न कि अपीलार्थी के तथ्यों का अवलोकन किया। इसलिये भी प्रश्नगत निर्णय व आदेश निरस्त होने योग्य है। दिनांक 23.12.2024 के आदेश में विपक्षी सं0 2 द्वारा अपीलार्थी की आय का कोई अवलोकन नहीं किया जोकि ग्रामीण न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश पोषणीय नही है। ग्रामीण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की किसी आय का अनुमान लगाकर आदेश पारित किया है जोकि अपीलार्थी सिर्फ एक किसान है जो अपनी आय में अपने बच्चों की शिक्षा एवं

अपने माता पिता का खर्च एवं विपक्षी सं0 2 का खर्च लगातार करता आ रहा था। बीमारी की स्थिति के चलते खर्च वहन नहीं कर सका जिस कारण विपक्षी सं0 2 छोड़कर चली गयी। कृषि से होने वाली आय से अपीलार्थी बामुश्किल अपने माता पिता व बच्चों के भरणपोषण व बच्चों की शिक्षा कर पा रहा है। विपक्षी सं0 2 के अलग रहने की स्थिति में उसके अलग से भरणपोषण को वहन करना उसकी आय के प्रतिकूल है। ग्रामीण न्यायालय द्वारा किस आंकलन के आधार पर विपक्षी सं0 2 को 9000/–रूपये प्रतिमाह भरणपोषण देने का आदेश दिया, अपने प्रश्नगत आदेश में इसका कोई उल्लेख नहीं किया है। इसलिये भी प्रश्नगत निर्णय व आदेश निरस्त होने योग्य है। अत : याचना की है कि अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय व आदेश दिनांकित 23.12.2024 निरस्त किया जाए।

अपीलार्थी विपिन कुमार की ओर से लिखित बहस का0सं0 11ग दाखिल की गयी जिसका ससम्मान अवलोकन किया।

10– रेस्पोन्डेन्ट/याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर गुणदोष पर पारित किया गया है । कहा गया कि आलोच्य आदेश पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विधिक निष्कर्ष पर आधारित है। आदेश में कोई अवैधानिकता या विधिक त्रुटि नही है। फौजदारी अपील खारिज किये जाने का आग्रह किया गया ।

रेस्पोन्डेन्ट/याची श्रीमति बबीता की ओर से लिखित बहस का0सं0 12ग दाखिल दाखिल की गयी जिसका ससम्मान अवलोकन किया।

रेस्पोन्डेन्ट सं0 2 बबीता की ओर से विधि व्यवस्था 2002(2) सिविल कोर्ट केसेस 01(एस0सी0) विजय कुमार प्रसाद बनाम स्टेट आफ बिहार एव अन्य, 2011(1)एपेक्स कोर्ट जजमेन्टस 307(एस0सी0) सुप्रीमकोर्ट आफ इंडिया मैसर्स जे0पी0बिल्डर्स एवं अन्य बनाम ए0 रामादास राय एव अन्य, विधि व्यवस्था डॉ0 अजय चतुर्वेदी बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य (माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद) 2014 पेज 54, विधि व्यवस्था श्रीमति कृष्णा देवी बनाम उ0प्र0राज्य एवं अन्य 2022(2)ए0डी0सी0सी0787(इलाहाबाद एच0सी0एल0बी0), विधि व्यवस्था अंजू गर्ग एवं अन्य बनाम दीपक कुमार गर्ग 2022(4)सी0सी0एस0सी0 2135(एस0सी0), विधि व्यवस्था रीमा सलकान बनाम सुमेर सिंह सलकान2019(1)ए0डी0सी0सी01 (एस0सी0) एवं विधि व्यवस्था रजनीश

बनाम नेहा एवं अन्य 2021(1)ए0डी0सी0सी0 302 एस0सी0 प्रस्तुत की गयी है जिनका ससम्मान अवलोकन किया गया।

11— पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि उपरोक्त वाद बिन्दुओं के सम्बन्ध में अपीलीय न्यायालय द्वारा यह देखा जाना है कि क्या विद्वान अवर न्यायालय द्वारा उपरोक्त वाद बिन्दुओं का निस्तारण पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर किया गया तथा विधिक रूप से सही किया गया है जिनके सम्बन्ध में **निम्न अवधार्य बिन्दु बनाकर अपील का निस्तारण किया जाना न्यायोचित होगाः—**

1— क्या अपीलार्थी पर पर्याप्त आय के साधन है तथा अपने परिवार के भरणपोषण करने में पूर्णतया सक्षम है व अपीलार्थी द्वारा याची के भरण पोषण करने में उपेक्षा कारित की गयी है?

2— क्या विपक्षी/याची अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है तथा याची पर अपने जीवन यापन/निर्वाह करने के पर्याप्त साधन नहीं है और वह अपीलार्थी पर जीवन यापन करने हेतु अपीलार्थी पर पूर्णतया निर्भर है ?

3— क्या अवर न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है?

<u>12—अवधार्य बिन्दु संख्या—1 :—</u>

अवधार्य बिन्दु सं0—1 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या अपीलार्थी पर पर्याप्त आय के साधन है तथा अपने परिवार के भरणपोषण करने में पूर्णतया सक्षम है व अपीलार्थी द्वारा याची के भरण पोषण करने में उपेक्षा कारित की गयी है?

<u>13—अवधार्य बिन्दु संख्या—2 :—</u>

अवधार्य बिन्दु सं0—2 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या विपक्षी/याची अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है तथा याची पर अपने जीवन यापन/निर्वाह करने के पर्याप्त साधन नहीं है और वह अपीलार्थी पर जीवन यापन करने हेतु अपीलार्थी पर पूर्णतया निर्भर है ?

उपरोक्त अवधार्य बिन्दु एक दूसरे से सम्बन्धित है इसलिये सुविधा की दृष्टि से दोनों अवधार्य बिन्दुओं का निस्तारण एक साथ किया जाना न्यायसंगत होगा।

14— उपरोक्त अवधार्य बिन्दुओं के सम्बन्ध में अपीलार्थी की ओर से यह तर्क दिया गया कि अपीलार्थी एवं विपक्षी सं0 2 की शादी दिनांक 11.03.2012 को हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार हंसी खुशी से

सम्पन्न हुई थी। अपीलार्थी एवं विपक्षी सं0 2 व दोनों के परिवारों में आपसी मधुर सम्बन्ध रहे तथा दोनों के परिवार वालों का धार्मिक कार्यक्रमो, तीज त्यौहार पर एवं शादी विवाह में हंसी खुशी से आना जाना था किसी भी प्रकार का मनमुटाव नहीं था। अपीलार्थी एवं विपक्षी सं0 2 से एक पुत्री पैदा हुई उसके 6 वर्ष पश्चात पुत्र का जन्म हुआ। अपीलार्थी, विपक्षी सं0 2 एवं अपने बच्चों का जीवन यापन जीविका एवं बच्चों की शिक्षा का खर्च अपनी आय अनुसार लगातार करता आ रहा है। अपीलार्थी विपक्षी सं0 2 के शादी के पश्चात से ही पूर्ण खर्च निर्वाह करता आ रहा है। अपीलार्थी दिनांक 21.03.2020 को बीमार हो गया था तथा काफी समय तक बीमारी का सामना करना पड़ा जिससे विपक्षी सं0 2 के जीवनयापन खर्चे में टूट हो गयी तथा विपक्षी सं0 2 अपीलार्थी से मनमुटाव करने लगी तथा अपने मायके जाने की धमकी देती थी और कहती थी कि मैं इन दोनों बच्चों को छोड़कर अपने कायम चली जाऊंगी तथा अपीलार्थी ने अपने ससुरालवालों को समझाने का हरचन्द प्रयास किया कि जैसे मेरी तबियत सही हो जायेगी मैं अपना जीवन यापन खर्चा करता रहूँगा, लेकिन अपीलार्थी के कहने के बावजूद भी विपक्षी सं0 2 अपीलार्थी एवं दोनों बच्चों को छोड़कर अपने मायके चली गई। अपीलार्थी ने अपने सभी सम्मानित रिश्तेदारों एंव मिलने वालों के साथ अपनी ससुराल विपक्षी सं0 2 को लेने गया तो विपक्षी सं0 2 और उसके मायके वालों ने साथ भेजने से साफ इंकार कर दिया और कहने लगे कि हम तुझसे न्यायालय के द्वारा खर्चा लेगें लेकिन अपीलार्थी विपक्षी सं0 2 एवं उसके परिवारजानो के आगे विपक्षी सं0 2 को भेजने की गुहार लगाई तथा गिड़गिराया कि मेरा परिवार टूट जाएगा, लेकिन विपक्षनी सं0 2 एवं उसके परिवारजनों ने अपीलार्थी की कोई बात नहीं सुनी और विपक्षनी सं0 2 एवं उसके परिवारजनों ने अपीलार्थी को गाली देते हुए वहॉ से भगा दिया। अपीलार्थी की तबियत में सुधार होता गया तब दोनों बच्चों की शिक्षा एवं अपने माता पिता का खर्च भी अपीलार्थी करता आ रहा है। अपीलार्थी केवल किसानी का कार्य करता है जिसके पास किसानी के अतिरिक्त कोई अन्य आय का साधन नहीं है। ग्रामीण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की किसी आय का अनुमान लगाकर आदेश पारित किया है जोकि अपीलार्थी सिर्फ एक किसान है जो अपनी आय में अपने बच्चों की शिक्षा एवं अपने माता पिता का खर्च एवं विपक्षी सं0 2 का खर्च लगातार करता आ रहा था। बीमारी की स्थिति के चलते खर्च वहन नहीं कर सका जिस कारण विपक्षी सं0 2 छोड़कर चली गयी। कृषि से होने वाली आय से

अपीलार्थी बामुश्किल अपने माता पिता व बच्चों के भरणपोषण व बच्चों की शिक्षा कर पा रहा है।

15— जबकि विपक्षीसं02/याची की ओर से तर्क दिया गया है कि याची का विवाह हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार दिनांक 11.03.2012 को विपक्षी के साथ सम्पन हुआ था विवाह के समय प्रार्थिनी के माता पिता ने डबल बैड शौफा सेट, अलमारी, एल०ई०डी० टी०वी० जनाने व मर्दाने कपडे सोने चांदी के आभूषण और मोटर साइकिल व कार आदि सामान दिया था और इस प्रकार प्रार्थनी के माता पिता ने विवाह में मुबलिग चौदह लाख रुपये खर्च किये थे। प्रार्थनी ने विपक्षी व विपक्षी के परिजनों के प्रति अपने कर्तव्यो व दायित्वों का निर्वाहन भली प्रकार किया। विवाह के कुछ दिन बाद से ही प्रार्थनी के पति अर्थात विपक्षी विपिन कुमार व विपक्षी के परिजन ने प्रार्थनी को कम दहेज का ताना देने लगे और कहते कि तेरे माता पिता ने हमारी हैसियत के अनुसार दहेज नहीं दिया। हमें दहेज में एक स्कार्पियों कार व पन्द्रह लाख रुपये नकद अपने माता पिता से लाकर दे इस प्रकार उपरोक्त दहेज की मांग को लेकर प्रार्थनी को विपक्षी व विपक्षी के परिजन अर्थात माता पिता मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताडित करने लगे। प्रार्थनी यह सोच कर कि उसका विवाह बर्बाद ना हो विपक्षी व विपक्षी के परिजन अर्थात माता पिता की मानसिक व शारीरिक प्रताडना सहती रही। विपक्षी तथा प्रार्थनी के संसर्ग से एक पुत्री कु० प्रानवी व एक पुत्र भेदिन उत्पन्न हुये जिनकी आयु क्रमशः 11 वर्ष व 5 वर्ष है। तत्पश्चात भी विपक्षी के परिजन अर्थात माता पिता की मानसिक व शारीरिक प्रताडना करने लगे तथा प्रार्थनी ने विपक्षी व विपक्षी के परिजनों को समझाने का प्रयास किया कि प्रार्थनी के माता पिता गरीब है तथा विपक्षी परिजनों की दहेज की मांग उपरोक्त को पूरा नहीं कर सकते। दहेज की मांग पूरी ना होने के कार 26.07.2023 को विपक्षी व विपक्षी के परिजन अर्थात माता पिता ने प्रार्थनी को मारपीट करके मात्र पहने कपड़ों में घर से धक्के देकर निकाल दिया। तत्पश्चात प्रार्थी ने अपने मायके पहुंचकर अपने माता पिता से उस घटना के बारे में बताया तब प्रार्थनी के माता पिता भाई राहुल कुमार व रिश्तेदार संजीव कुमार को लेकर की ससुराल पहुंचे तथा प्रार्थनी के पति अर्थात विपक्षी व प्रार्थनी के ससुराल वालो अर्थात विपक्षी के परिजन समझाने का प्रायस किया परन्तु प्रार्थनी के पति अर्थात विपक्षी व विपक्षी व प्रार्थनी के ससुराल वाले नही माने और अपनी उक्त दहेज की मांग पर अड़े रहे। तत्पश्चात दिनांक 28.07.2023 को प्रार्थनी के पति और प्रार्थनी के ससुराल वाले

अर्थात सास ससुर प्रार्थनी के पिता जी के घर पर आये और प्रार्थनी को दान दहेज की मांग को लेकर गन्दी गन्दी गालियों और मारपीट से त्तम्बन्धित घटना कारित की जिसके कमशः प्रार्थनी वाद पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र कर रहा है जिसमें उपरोक्त घटनाओं का विस्तृत विवरण दिया प्रार्थनी दिनांक 26.07.2023 से अपने माता पिता के घर पर रह रही है तथा प्रार्थनी के माता पिता तथा प्रार्थनी अपने माता पिता पर बोझ बनी हुई है। विपक्षी ने न तो अपने दाम्पत्य जीवन का निर्वहन ही किया और ना ही प्रार्थनी को भरण पोषण हेतु कोई धनराशि अदा की है। प्रार्थनी एक घरेलू महिला है तथा सिलाई बुनाई, कढाई आदि का कोई कार्य नहीं जानती है और न ही प्रार्थनी के पास आय का कोई भी साधन है तथा प्रार्थनी के भरण पोषण का समस्त उत्तरदायित्व विपक्षी पर है। विपक्षी ने प्रार्थनी की पूर्ण उपेक्षा की गयी है। विपक्षी के नाम मौजा अक्खा नंगला व करौंदी में लगभग 15 बीघे कृषि भूमि है जिसमे विपक्षी छः लाख रु0 प्रतिवर्ष कमाता है। विपक्षी इसके अतिरिक्त पशु पालन करता है और दूध के कारोबार से लगभग सत्तर हजार रुपये प्रति माह कमाता है तथा विपक्षी ट्रैक्टर खरीदने बेचने का व्यापार भी करता है जिससे विपक्षी लगभग एक लाख रुपये प्रति माह कमाता है। इसके अतिरिक्त विपक्षी व उसके भाई का संयुक्त मकान मौहल्ला गांव मवाना रोड मेरठ में स्थित है जिससे विपक्षी संयुक्त रुप से किराये की धनराशि साठ हजार रुपये प्रति माह करता है। विपक्षी दूध के कारोबार से प्रतिमाह सत्तर हजार रुपये व ट्रेक्टर के व्यापार से एक लाख रूपये प्रतिमाह व कृषि भूमि से छः लाख रुपयें सालाना अर्थात औसत पचास हजार रुपये प्रति माह संयुक्त मकान रूप में, उपरोक्त मकान से किराये के रूप में साठ हजार रुपये प्रति माह अर्थात विपक्षी तीस हजार रुपये प्रथक रुप से कमाता है, इस प्रकार विपक्षी उपरोक्त सभी से कुल दो लाख रुपये प्रति माह से कम नहीं कमाता है।

विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांकित 23.12.2024 में यह निष्कर्ष दिया गया है कि पक्षकारों के मध्य यह स्वीकृत तथ्य है कि वह पति पत्नी है व अब अलग अलग रह रहे है व उनके दो बच्चे है जो अब विपक्षी विपिन के पास रहते है। याची का यह कथन है कि दिनांक 26.07.2023 को उसके पति व ससुराल वालों ने घर से मारपीट कर निकाल दिया था तब से आज तक कोई भरणपोषण हेतु खर्चा उसे उसके पति ने नहीं दिया हैं । याची का यह भी कथन है कि वह वर्तमान में बेराजगार है वह अपने पिता पर आश्रित

है जबकि विपक्षी विपिन कुमार ने याची की आय के संबंध में अपने प्रतिवादी पत्र में कोई कथन नहीं किया है । विपक्षी द्वारा याची के आय संबंधी कोई दस्तावेज या साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया है न ही उसके द्वारा याची की किसी आय के होने के तथ्य को साबित किया गया है उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि याची अपना भरणपोषण करने में समक्ष नहीं है। याची का यह भी कथन है कि विपक्षी कृषि करता है व दूध डेयरी का भी कार्य करता है व ट्रैक्टर बेचने का भी कार्य करता है तथा लगभग दो से ढाई लाख रूपये प्रतिमाह कमाता है। विपक्षी द्वारा अपनी जिरह में 14बीघा जमीन व अपने नाम प्लाट होने का कथन स्वीकार किया है । याची द्वारा साक्षी ए0पी0डब्लू0–2 प्रस्तुत कर यह कथन साबित किया गया है कि विपक्षी ट्रैक्टर बेचने का कार्य करता है । स्पष्ट है कि विपक्षी अपने सही आय को छुपा रहा है उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि विपक्षी याची का भरणपोषण करने मे सक्षम है। याची का यह भी कथन है कि विपक्षी याची के साथ मारपीट करता है। याची द्वारा मारपीट के सम्बन्ध में एफ0आई0आर0 की प्रतिलिपि दाखिल की गयी है। उक्त साक्ष्य से साबित है कि याची बिना किसी उचित कारण के विपक्षी के साथ नहीं रह रही है तथा ना ही विपक्षी द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है कि विपक्षी द्वारा याची के भरणपोषण करने में कोई उपेक्षा कारित नहीं की गई। उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा याची के भरणपोषण करने में उपेक्षा कारित की गयी है। इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में वाद बिन्दु सं0–1 का निस्तारण किया गया है।

इसी प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा वाद बिन्दु सं0 2 क्या याची अपने लिए विपक्षी से धारा 125 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत अपना भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारी है, के सम्बन्ध में विचारण न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष दिया गया कि वाद बिन्दु संख्या 1 के निस्तारण से यह स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा याची के भरण पोषण में उपेक्षा कारित की गई है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था अंजू गर्ग एवं अन्य बनाम दीपक कुमार गर्ग (Criminal Appeal no- 1693 of 2022) में अपनी विधि व्यवस्था रजनीश बनाम नेहा (AIR 2021 SC 569) व भूवन मोहन सिंह बनाम मीना एवं अन्य (2015) 6 SCC 353 का आलोक दिया है जिसनें यह प्रतिपादित किया गया है कि "Section 125 CrPC was conceived to ameliorate the agony, anguish, financial suffering of a woman who had left her matrimonial home, so that some suitable arrangements could be made to enable her to sustain herself and the children. Since it is

the sacrosanct duty of the husband to provide financial support to the wife and the minor children, the husband was required to earn money even by physical labour, if he is able bodied, and could not avoid his obligation, except on any legally permissible ground mentioned in the statute-" "Proceedings under section 125 on the Code, it must be remembered, are of a summary nature and are intended to enable destitute wives and children--- to get maintenance in a speedy manner-" "It provides a speedy remedy for the supply of food, clothing, and shelter to deserted wife and children" जहां तक की प्रश्न विपक्षी एवं याची की आय का है तो याची का यह कथन है कि वह वर्तमान में बेरोजगार है अपने पिता पर आश्रित है। जबकि विपक्षी ने याची की आय के संबंध में अपने प्रतिवाद पत्र में कोई कथन नहीं किया है। विपक्षी द्वारा याची के आय संबंधी कोई दस्तावेज या साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया है। न ही उसके द्वारा याची की किसी आय के होने के तथ्य को साबित किया गया है।

याची बबीता का यह कथन है कि विपक्षी कृषि करता है व दूध डेयरी का भी कार्य करता है व ट्रैक्टर बेचने का कार्य भी करता है तथा लगभग दो से ढाई लाख रूपये प्रतिमाह कमाता है। विपक्षी द्वारा अपनी जिरह में 24 बीघा जमीन व अपने नाम प्लॉट होने का कथन स्वीकार किया है। याची द्वारा ए.पी.डब्ल्यू 2 साक्षी प्रस्तुत यह कथन साबित किया गया है कि विपक्षी ट्रैक्टर बेचने का भी कार्य करता है। स्पष्ट है कि विपक्षी विपिन कुमार अपनी आय को छुपा रहा है। उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि विपक्षी विपिन अपनी पत्नी बबीता का भरण पोषण नहीं रहा है जो उसका वैधानिक और नैतिक उत्तरदायित्व है। अतः याची बबीता विपक्षी विपिन से भरण पोषण धनराशि प्राप्त करने की अधिकारी है। याची अपने माता पिता के घर रह रही है। याची के जीवन की स्थिति देखते हुए याची साक्षी को रुपए 9,000/— (नौ हजार रूपये) प्रतिमाह की धनराशि दिलाया जाना न्यायोचित पाया गया है।

16— उभय पक्षों के तर्को एवं पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि यह तथ्य दोनों पक्षों स्वीकार है कि उनका विवाह दिनांक 11.03.2012 को हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार सम्पंन हुआ था तथा अपीलार्थी विपिन कुमार व विपक्षी सं02/याची श्रीमति बबीता पति पत्नी है। उनके एक पुत्र व एक पुत्री है। दोनों बच्चे अपीलार्थी के पास रहते है।

17— इसके अतिरिक्त याची बबीता ने अपने याचिका में कथन किया है कि विपक्षी दूध के कारोबार से 70,000 रुपये प्रतिमाह ट्रेक्टर के व्यापार से 1,00,000 रु0 प्रतिमाह व कृषि भूमि से 6,00,000 रु० सालाना अर्थात औसत 50,000 रु० प्रतिमाह व संयुक्त मकान उपरोक्त से 60,000 रु० प्रतिमाह अर्थात विपक्षी लगभग 30,000 रु० प्रतिमाह पृथक रुप से कमाता है। इस प्रकार विपक्षी उपरोक्त सभी से कुल 2,00,000 प्रतिमाह से कम नहीं कमाता है।याची ने अपनी मुख्य परीक्षा 34क में के प्रथम पेज की 27वीं लाइन (पंक्ति) में कहा है कि दिनांक 26.07.2023 से अपने माता पिता के घर पर रह रही है और अपने माता पिता पर बोझ बनी है। मैं घरेलू महिला हूँ तथा सिलाई कढ़ाई, बुनाई नहीं जानती हूँ मेरे पास आय का कोई साधन नहीं है। मेरे पति पर खुद की पन्द्रह सोलह बीघा जमीन गाँव अक्खा नगला व करौंदी में है। मेरे पति कृषि कार्य के अलावा पशु पालन द्वारा दूध का कारोबार व पुराने ट्रेक्टर लाकर खरीदने बेचने का कार्य करते हैं मेरे पति खेती से छः लाख रुपये सालाना व दूध के व्यापार से सत्तर, पिछत्तर हजार रु० मासिक व ट्रेक्टर के कुल मासिक आय ढाई लाख रुपये से ऊपर है। मेरे पति के माता पिता मेरे पति पर आश्रित नहीं हैं। मेरे सास ससुर पर खुद की कृषि भूमि लगभग सत्ताईस अटठाईस बीघा है। मेरे ससुर के पास मेरठ व गाँव में मकान है। प्रार्थनी / याची ने अपनी जिरह की प्रथम लाईन (पंक्ति) में स्पष्ट रुप से कहा है कि शादी के समय विपिन कृषि कार्य करते थे पशु भी पालते थे विपिन जॉब वगैरह नहीं करता। याची ने अपनी जिरह में तीसरे पेज की तीसरी पंक्ति में यह कहा है कि वर्तमान में मैं अपने माता पिता के घर रह रही हूँ कृषि कार्य करते हैं। मेरे माता पिता के नाम दो—तीन बीघा जमीन है। मैं कृषि कार्य अपने माता पिता के साथ नहीं करती हूँ। मै केवल घर पर रोटी पानी का काम करती हूँ। याची के साक्षी पी.डब्लू० 2 सुरेन्द्र सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा के पांचवी पंक्ति में कहा है कि मैं विपिन के घर पुराना ट्रेक्टर खरीदने गया था. महेन्द्रा 575 ट्रेक्टर खरीदने गया था इस कारण मैं विपिन को जानता हूँ विपिन का घर व घेर एक ही है। मैं विपिन के यहाँ सेकेण्ड हैण्ड ट्रेक्टर खरीदने माह नवम्बर 2023 के अन्तिम सप्ताह में गया था जब मैं वहीं गया था तो विपिन के घेर में चार, पाँच ट्रेक्टर खड़े थे मेरे साथ मेरा भाई भी गया था। घेर में ट्रेक्टर के अलावा बीस पच्चीस पशु भी बंधे थे मेने विपिन से सेकेण्ड हैण्ड ट्रेक्टर नहीं खरीदा क्योंकि वो ज्यादा पैसे माँग रहे थे विपिन सेकेण्ड हैण्ड ट्रेक्टर खरीद व बेचने का व्यापार करता है। याची के

गवाह ए०पी० डब्लू 2 ने अपनी जिरह की तीसरी पंक्ति में कहा है कि मैं विपिन के यहाँ पुराना ट्रेक्टर खरीदने गया था जिस कारण मैं विपिन को जानता हूँ विपिन पुराने ट्रेक्टर का लेनदेन करते हैं गवाह ए०पी० डब्लू 2 ने जिरह में कहा है कि मैं जब विपिन से ट्रेक्टर खरीदने गया था तो वहाँ और भी ट्रेक्टर खड़े थे मैने विपिन से ट्रेक्टर नहीं खरीदा था क्योंकि उन्होने ट्रेक्टर की ज्यादा कीमत माँगी थी। ए०पी० डब्लू 2 ने अपनी जिरह की नौवी पंक्ति में कहा है कि मुझे मौके पर विपिन मिले थे मैं विपिन के घर सुबह के समय गया था विपिन घर पर मौजूद मिले थे। ए०पी० डब्लू 2 ने अपनी जिरह की ग्यारवही पंक्ति में यह कहा है कि यह कहना गलत है कि विपिन ट्रेक्टर खरीदने व बेचने का कार्य न करता हो। ए०पी० डब्लू 2 अपनी जिरह की पेज नं0 2 की सातवी पंक्ति में यह कहा है कि जो ट्रेक्टर विपिन के यहाँ खड़े थे वो बिक्री के थे ऐसे मुझे विपिन ने बताया था। ओ०पी० डब्लू 1 विपिन कुमार ने अपनी जिरह अटठारहवीं पंक्ति में यह कहा है कि मेरे पिता जी के नाम पच्चीस बीघा जमीन है। मेरे पिता जी के नाम मेरठ में एक मकान हैं मेरे नाम एक खाता खुला है। जिसका नं० मुझे पता नहीं है। मैं बैनामें में गवाह हूँ जो मकान मेरठ में है। कगाज सं० 17 ख के पेज नं० सात पर विवरण की प्राप्ति की पृविष्ट नं० 1 को विपक्षी ने पढ़ा और कहा मैं अपना खाता देखकर ही बता सकता हूँ गवाह ने ओ०पी० डब्लू 1 विपिन कुमार अपनी जिरह के द्वितीय पृष्ठ की पहली पंक्ति में कहा कि गवाह ने बैनामा सत्यप्रति कागज सं० 18 (ख) को देखकर बताया कि हम दोनों भाईयो ने एक प्लाट सन 2020 में खरीदा था। मेरे नाम दो जगह जमीन हैं एक करौंदी में तथा दूसरी अक्खा नगला में हैं कागज संख्या 20 (ख) खतौनी कागज संख्या 21 ख व कागज संख्या 32 ख मेरे नाम की खतौनी है जो पत्रावली पर मौजूद हैं ओ०पी० डब्लू 1 विपिन कुमार ने अपनी जिरह के पेज नं० तीन के पंक्ति नं० सत्तरह में कहा है यह कहा है कि गवाह ने कागज सं0 25 ख ता 30 ख खतौनी को पढ़कर व देखकर बताया है कि यह मेरे पिता की खतौनी है जो पत्रावली पर दाखिल है। मैने वादपत्र नहीं पढ़ा है। उसमें क्या लिखा है मुझे मालूम नहीं है।

जहॉ तक अपीलार्थी विपिन का यह तर्क है कि वह कृषि से होने वाली आय से अपीलार्थी बामुश्किल अपने माता पिता व बच्चों के भरणपोषण व बच्चों की शिक्षा कर पा रहा है। याची/ विपक्षी सं0 2 के अलग रहने की स्थिति में उसके अलग से भरणपोषण को वहन करना उसकी आय के प्रतिकूल है। अपीलार्थी की आय को देखते हुए

वह अपनी माता पिता व बच्चों के भरणपोषण करने हेतु समक्ष है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं अभिवचनों के आधार पर याची/ विपक्षी सं0 2 को 9000/–रूपये प्रतिमाह भरणपोषण देने का जो आदेश पारित किया गया है वह विधि अनुसार पारित किया गया है।

याची बबीता का यह कथन है कि विपक्षी कृषि करता है व दूध डेयरी का भी कार्य करता है व ट्रैक्टर बेचने का कार्य भी करता है तथा लगभग दो से ढाई लाख रूपये प्रतिमाह कमाता है। विपक्षी द्वारा अपनी जिरह में 24 बीघा जमीन व अपने नाम प्लॉट होने का कथन स्वीकार किया है। याची द्वारा ए.पी.डब्ल्यू 2 साक्षी प्रस्तुत यह कथन साबित किया गया है कि विपक्षी ट्रैक्टर बेचने का भी कार्य करता है। स्पष्ट है कि विपक्षी अपने आय को छुपा रहा है। उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि विपक्षी विपिन अपनी पत्नी बबीता का भरण पोषण नहीं रहा है जो उसका वैधानिक और नैतिक उत्तरदायित्व है।

अपीलार्थी विपिन कुमार की ओर से अपनी आय के सम्बन्ध में आय प्रमाण पत्र की प्रति प्रार्थना पत्र के साथ सूची से दाखिल की गयी । कार्यालय तहसीलदार द्वारा विपिन कुमार का आय प्रमाण पत्र में उसकी आय मुव0 5000/–रूपये प्रतिमाह दर्शित की गयी है।

जबकि इसके काउन्टर में रेस्पोन्डेन्ट सं02/याची श्रीमति बबीता की ओर से आपत्ति करते हुए यह कथन किया गया है कि प्रार्थना पत्र दिनांकित 05.06.2026 व उसके साथ सलंग्न दस्तावेज में कोई पर्याप्त व स्पष्ट कारण नहीं दर्शाया गया है अपीलार्थी द्वारा फौजदारी विविध वाद सं0 128 सन 2025 में आय प्रमाण पत्र क्यों प्रस्तुत नहीं किया था। अपीलार्थी 14 बीघा कृषि भूमि का मालिक है। अपीलार्थी साधन सम्पंन व्यक्ति है तथा अपीलार्थी की कृषि भूमि की सलाना आय 60,000/–रूपये गलत प्रकार से दर्शायी गयी है। अपीलार्थी ने लेखपाल से हमसाज होकर आय के सम्बन्ध में गलत आख्या दर्शाते हुए झूठा आय प्रमाण पत्र जारी करवा लिया है। समर्थन में शपथपत्र बबीता का दाखिल किया गया है। याची बबीता की ओर से गन्ना पर्ची का कच्चा कलैन्डर भी दाखिल किया गया है जिसमें वर्ष 2000–2021 में 670.63 कुन्टल, वर्ष 2021–2022 में 649.33 कुन्टल, वर्ष 2022–2023 में 737 कुन्टल, वर्ष 2023–2024 में 480.29 कुन्टल, वर्ष 2024–2025 में 399.17 कुन्टल तथा दो वर्ष का औसत 439.73 कुन्टल, तीन वर्ष का औसत 539.02 कुन्टल, पांच वर्ष का औसत 587. 404 कुन्टल दर्शित किया गया है जिससे यह स्पष्ट है कि किसी भी

स्थिति में अपीलार्थी विपिन कुमार की मासिक आय 5000/—रूपये महीना होना सम्भव नहीं है।

इस प्रकार उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों से स्पष्ट होता है कि पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन व साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थी विपिन कुमार की सलाना 60000/—रूपये से अधिक प्रतीत होती है। चूँकि इस तथ्य को अपीलार्थी की ओर से स्वीकार किया गया है कि श्रीमति बबीता अपीलार्थी की विवाहिता पत्नी है तथा अपने भरणपोषण करने में सक्षम नहीं है व अपने भरणपोषण के लिए अपने पति की आय पर ही आश्रित है। अपीलार्थी साधन सम्पंन व्यक्ति है तथा वह अपने परिवार के भरणपोषण करने में पूर्णतया सक्षम है व अपीलार्थी द्वारा याची बबीता के भरण पोषण करने में उपेक्षा कारित की गयी है। अतः याची बबीता विपक्षी विपिन से भरण पोषण धनराशि प्राप्त करने की अधिकारी है।

19— उपरोक्त तथ्यों एवं विवेचन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी पर पर्याप्त आय के साधन है तथा अपने परिवार के भरणपोषण करने में पूर्णतया सक्षम है व अपीलार्थी द्वारा याची के भरण पोषण करने में उपेक्षा कारित की गयी है तथा याची अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है तथा याची पर अपने जीवन यापन/निर्वाह करने के पर्याप्त साधन नहीं है और याची बबीता अपीलार्थी विपिन कुमार पर जीवन यापन करने हेतु पूर्णतया निर्भर है। तदनुसार अवधार्य बिन्दु सं0 1 व 2 निस्तारित किये जाते है।

<u>20—अवधार्य बिन्दु सं0—3:—</u>

अवधार्य बिन्दु संख्या—3 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या अवर न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है?

21— उपरोक्त अवधार्य बिन्दु सं0 1 व 2 के निस्तारण यह से यह स्पष्ट हो चुका है कि अपीलार्थी पर पर्याप्त आय के साधन है तथा अपने परिवार के भरणपोषण करने में पूर्णतया सक्षम है व अपीलार्थी द्वारा याची के भरण पोषण करने में उपेक्षा कारित की गयी है तथा याची अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है तथा याची पर अपने जीवन यापन/निर्वाह करने के पर्याप्त साधन नहीं है और वह अपीलार्थी पर जीवन यापन करने हेतु अपीलार्थी पर पूर्णतया निर्भर है।

विचारण न्यायालय द्वारा अपने आदेश में जो वाद बिन्दुओं का निस्तारण किया गया है पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर पारित किया गया है और विचारणीय न्यायालय द्वारा याची/विपक्षी

सं0–2 बबीता को अपीलार्थी विपिन कुमार से मुब0 9000/–रूपये प्रतिमाह भरणपोषण याचिका की संस्थित दिनांक से संदाय किये जाने का जो आदेश पारित किया गया है वह सही है तथा विधि सम्मत है।

22– उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त तथ्यों व परिस्थितियों का मूल्यांकन करते हुए आक्षेपित आदेश पारित किया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि परिलक्षित नहीं हो रही है, जो विधि सम्मत है प्रश्नगत आदेश/निर्णय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर उक्त फौजदारी अपील संख्या 52 सन 2025 विपिन कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य आदि खारिज किये जाने योग्य है तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय/आदेश दिनांकित 23.12.2024 पुष्ट किये जाने योग्य है।

आदेश

फौजदारी अपील संख्या 52 सन 2025 विपिन कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य आदि खारिज की जाती है तथा विद्वान विचारण न्यायालय न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय धनौरा जनपद अमरोहा द्वारा फौजदारी विविध वाद सं0 128 सन 2023 अन्तर्गत धारा 125 दं0प्र0सं0 थाना मंडी धनौरा के अन्तर्गत पारित प्रश्नगत निर्णय/आदेश दिनांकित 23.12.2024 पुष्ट किया जाता है।

विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ वापस भेजी जाए। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर होवे।

दिनांक– 23.06.2026

(शाकिर हसन)
अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय कक्ष सं0–1,
अमरोहा।
आई0डी0 नं0 यू0पी0–2416

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित कर उद्घोषित किया गया ।

दिनांक– 23.06.2026

(शाकिर हसन)
अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय कक्ष सं0–1,
अमरोहा।
आई0डी0 नं0 यू0पी0–2416